फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पूनम सिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह गॉव व पो. आंजना वाया देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 79/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये क्रमांक आरटी आई/2023/1080 दिनांक 30.11.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री पूनम सिंह पिता डूंगर सिंह, पोस्ट आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा कार्यालय हाजा को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र अंकित दिनांक 12.09.2023 एवं 29.09.2023 के द्वारा चाही गयी। वांछित सम्पूर्ण सूचना तहसील कार्यालय देवगढ़ से संबंधित होने से कार्यालय हाजा के पत्रांक 730–31 दिनांक 22.09.2023 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के तहत अन्तरण किया गया एवं प्रार्थी को सूचना तहसील कार्यालय देवगढ़ से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये क्रमांक सूकाअ/38/2023/221 दिनांक 21.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड पत्र से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)